राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक: प0 10 (4) राज/7/देव/87 जयपुर, दिनांक : 19-12-92

प्रेषित :-

समस्त जिलाधीश

विषय :- वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने बाबत् ।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि वक्फ संस्थाओं से सम्बन्धित सम्पत्तियों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में नहीं किया जा रहा है व कुछ सम्पत्तियों का इन्द्राज वक्फ की बजाय उनके मुतवल्लियों, मुजाविरों व अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के नाम कर दिया गया है । इस प्रकार गलत इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाकर ऐसे लोग वक्फ सम्पत्तियों का लाभ स्वयं उठा रहे हैं या अवैध रूप से हस्तानान्तरण कर रहे हैं ।

राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि वर्ष 1965-66 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज-पत्र भाग 2 (क) में वक्फ सम्पत्तियों का जिलेवार प्रकाशन हो चुका है । उसके अनुसार वक्फ सम्पत्तियों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में हो जाना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है । कुछ सम्पत्तियों का इन्द्राज इसलिये भी नहीं किया गया क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में सम्पत्तियों का खसरा नम्बर या परीसीमन दर्ज नहीं है ।

उपरोक्त मामले में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक: एफ. 20(20)/राजस्व ग्रु. 111/79 दिनांक 22-7-82 द्वारा निदेश दिये गए थे कि मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, कब्रस्तान और मकबरों की सम्पत्ति जिनमें मुआफी, बिस्वेदारी, इनाम या खातेदारी दर्ज थी और जिनको उनके मुतवल्लियों, व्यवस्थापकों, खादिमों, सज्जादानशीनों, मुजाविरों व देख-रेख करने वालों के नाम दर्ज कर दी गई है उन्हें उचित कार्यवाही कर औकाफ के नाम दर्ज किया जावे और जब भी ऐसा मामला सामने आए तो रेकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही तुरन्त की जाए ।

अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मामलों में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार पालना की जावे :-

(1) जो सम्पत्ति राजस्थान राज-पत्र भाग 2 (क) 1965-66 में वक्फ अंकित की गई है उनका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित औकाफ के नाम में किया जाए जिन भूमियों का खसरा नम्बर राजपत्र में दर्ज नहीं उन्हें मौके पर कब्जे के आधार पर अब दर्ज किया जावे ।

.....2

§2§ जिन शहरी सम्पत्तियों में स्वामित्व या परीसीमन गजट नोटिफिकेशन में दर्ज नहीं है उसका इन्द्राज वास्तविक कब्जे के आधार पर किया जावे ।

§3§ जिन वक्फ भूमियों या सम्पत्तियों का इन्द्राज सम्बन्धित वक्फ़ के नाम न होकर अन्य के नाम दर्ज कर दिया गया है उन्हें राज्य सरकार के परिपत्र एफ 20§20§राजस्व/ग्रु. 111/79 दिनांक 22-7-82 की अनुपालना में वक्फ सम्पत्ति दर्ज किया जावे व जमाबन्दी एवं अन्य अभिलेखों में दुरूस्ती की जावे ताकि अवैध नामान्तरणकरण न खोले जा सकें ।

§4§ जहां नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर व क्षेत्रफल में भिन्नता हो वहां राजस्व अभिलेख के अनुसार सही खसरा नम्बर अथवा क्षेत्रफल का सम्बन्धित औकाफ के नाम अंकन किया जाए ।

§5§ जहां नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर सही दर्ज है किन्तु क्षेत्रफल सही दर्ज नहीं है तो राजस्व अभिलेख से उसे शुद्ध कर सम्बन्धित औकाफ के नाम दर्ज किया जाए ।

§6§ जहां नोटिफिकेशन में खसरा नम्बरान, क्षेत्रफल और परिसीमा कुछ भी अंकित नहीं है तो औकाफ की मौके की स्थिति व वास्तविक कब्जे में धारित भूमि के खसरा नम्बर व क्षेत्रफल सम्बन्धित औकाफ के नाम दर्ज किया जावे ।

हस्ताक्षर
S/-
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ऐसे आदेश स्थानीय निकायों को भी पालनार्थ जारी करने का श्रम करें ।

2- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, §वक्फ राजस्थान, जयपुर ।

3- सचिव, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ़्स, जलैबी चौक, जयपुर ।

हस्ताक्षर
S/-
प्रमुख शासन सचिव